कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी

पञाक यु**०आई०डी०:2018 / 477**63 / LKW/LUCKNOW/3112 / जे०डी० दिनॉक:जुलाई ३ ५ .2018

औपबन्धिक (PROVISIONAL) अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अग्निशमन अधिकारी पी०जी०आई० ,लखनऊ, की संस्तुति आख्या के अनुसार मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फा० लि० सेक्टर-डी, द्वितीय तल शापिंग खवायर-02, सुशान्त गोल्फ सिटी,सुल्तानपुर रोड,लखनऊ द्वारा सेक्टर-सी0, पाकेट-06,ग्रुप हाउसिंग-01,सुशान्त गोल्फ सिटी, सुल्तानपुर रोड,लखनऊ में प्रस्तावित समूह आवासीय भवन जो बेसमेंट+भूतल+14 तल का प्रस्तावित हैं, प्रत्येक टावर की उचाई 44.90 मीटर तथा प्लाट एरिया 86808.98 वर्ग मीटर है। भवन का अधिभोग समूह आवासीय श्रेणी के अन्तर्गत किया जायेगा। इनके द्वारा अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा के समस्त प्राविधानों का समायोजन एन०बी०सी०एवं तत्सम्बन्धी भारतीय मानक ब्यूरो के आई०एस० मानको की संस्तुतियों के अनुरुप किया गया है। इस भवन का प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण -पत्र समूह आवासीय श्रेणी के अन्तर्गत इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन का अधिभोग से पूर्व अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण पत्र (Fire & Life Safety Certificate) प्राप्त किया जायेंगा।

संलय्नक:अग्निसमन अधिकारी पी०जी०आई० की आख्या व मानचित्र ०१ नग ।

प्रतिलिपि

01- अग्निशमन अधिकारी पी०जी०आई०, लखनऊ ,को सूचनार्थ प्रेषित ।

अधिमोग एवं हेजार्डस श्रेणी:-प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन०बी०सी०-2016 में समूह आवासीय त्रणों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है ।

ढांचागत व्यवस्था:-

पहुँच मार्ग :-प्रश्नगत भूखण्ड तक पहुँच मार्ग की चौडाई मानचित्र में 45 मीटर प्रदर्शित है ।

सेटबैक:- भवन का न्यूनतम् सेटबैक निम्नवत है:-

13.00 मीटर । • अग्रभाग-

13.00 मीटर • पृष्ठ भाग-

13.00 मीटर । • पार्श्व भाग प्रथम-

• पार्श्व भाग द्वितीय-13.00 मीटर ।

13.00 मीटर • टावरों के मध्य-

उपरोक्तानुसार भवन का सेटबैक भवन विनियामावली के अनुसार है । सेटबैक सदैव अवरोध मुक्त रखें जायेगें सेटबैक में किसी प्रकार का स्थाई / अस्थाई निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा,प्रश्नगत भवन के चारो

तरफ न्यूनतम् 06 मीटर सेटबैक सदैव मोटरेबुल व अवरोधमुक्त रखा जाना अनिवार्य होगा ।

निकास मार्ग:- प्रश्नगत प्रस्तावित प्रत्येक टावर में भूतल से उपरी तलों हेतु 02-02 स्टेयरकेश प्रत्येक की चौडाई 01.50 मीटर व कम्यूनिटी भवन में 02 स्टेयरकेश प्रत्येक की चौडाई 02.00 मीटर मानचित्र में प्रदर्शित है तलों पर समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम् अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

रिफ्यूज एरिया:-प्रश्नगत प्रत्येक टावर में बालकनी मानचित्र में प्रदर्शित है अग्नि सुरक्षा व्यवस्था:- एन०बी०सी०-2016 के अनुसार निम्नलिखित अग्निशमन व्यवस्थाएं पूर्ण किए जाने

भूमिगत टैंक :- प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के परिसर में 300 के0एल0 पानी के क्षमता का भूमिगत

टैंक मानचित्र में प्रदर्शित है।

पम्प :- भूमिगत टैंक के पास 2280 एल0पी०एम० क्षमता के 02 विद्युत चालित पम्प (01 स्प्रिंकलर व 01 हाईड्रेट पम्प) व समकक्ष क्षमता का 01 डीजल चालित पम्प एवं 180 एल.पी. एम. क्षमता का 02 जॉकी पम्प (01 स्प्रिंकलर व 01 हाईड्रेट पम्प)तथा 1620 एल0पी०एम० क्षमता का वाटर कर्टन पम्प मानचित्र में प्रदर्शित किया गया है प्रश्नगत प्रस्तावित टावरों में हाईड्रेंटों की संख्या 200 से अधिक हो रही है इसलिए एन0बी0सी0-2016 ,पार्ट-04 के टेबल -07 के नोट संख्या 22 व 23 के अनुसार उक्त वर्णित क्षमता का 02 अतिरिक्त पम्प सेट इस प्रकार कुल 03 सेट फायर पम्प का अधिष्ठापन कराया जाना अनिवार्य होगा । प्रस्तातिव परिसर के रिंगमेन में पानी का प्रेशर मानक के अनुसार मेंन्टेन करने हेतु 2280 एल0पी0एम0 क्षमता का बुस्टर पम्प का प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा , समस्त फायर पम्पों को स्वाचालित पद्धति पर भारतीय मानक ब्यूरों के बीठ आईंठ एस0-3844-1989 के अनुसार रखा जाना अनिवार्य होगा ।

होजरील:-प्रश्नगत प्रत्येक टावर व कम्यूनिटी ब्लाक के मानचित्र में होजरील लैडिंग वाल्ब आई.एस.

-3844 के मानको के अनुसार प्रदर्शित है ।

वेटराइजर :- प्रश्नगत प्रत्येक टावर व कम्यूनिटी ब्लाक के मानचित्र में वेटराईजर सिस्टम एन0बी0सी-2016 के मानकों के अनुसार प्रदर्शित है जिसको पम्प रूम से भारतीय मानक ब्यूरो के बी०आई०एस0-3844-1989 के अनुसार संयोजित किया जाना अनिवार्य होगा ।

प्रश्नगत सम्पूर्ण भवन परिसर में यार्ड हाईड्रेट होज कैबिनेट एवं उसमें डिलीबरी होज पाईप तथा 05-ब्रांच पाईप एवं फायर सर्विस इनलेट का प्राविधान आई०एस० 13039:1991 के अनुसार मानचित्र

में प्रदर्शित है।

- हस्त चालित इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम :-प्रश्नगत प्रत्येक टावर व कम्युनिटी ब्लाक के 06-मानचित्र में एन0बी0सी0-2016 के मानकों के अनुसार हस्त चालित इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम प्रदर्शित है ।
- स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम:-प्रश्नगत भवन के सम्पूर्ण बेसमेंट में स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम एन० 07-बी0 सी0-2016 के मानको के अनुसार मानवित्र में प्रदर्शित है । स्प्रिंकलर सिस्टम में पानी की फीडिंग टेरस व अन्डर ग्राउण्ड टैंक दोनों से किया जाना आवश्यक होगा, बेसमेंट,में कम्पार्टमेंटेशन एन0 बी0सी0-2016 के मानको के अनुसार किया जाना अनिवार्य होगा ।

टैरिस टैंक :-प्रश्नगत प्रस्तावित प्रत्येक टावर के टैरिस पर टैरिस टैक 5 हजार लीटर व कम्युनिटी

ब्लाक के टैरिस पर 20000 लीटर पानी के क्षमता का मानचित्र में प्रदर्शित है ।

महोदय,

कृपया सहायक प्रबंधक मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रां० लि० सेक्टर-डी, द्वितीय तल शापिंग स्वचायर-02, सुशान्त गोल्फ सिटी, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ के पत्र पर आप के पृष्टाकन आदेश के अनुपालन में सेक्टर-सी० पाकेट-06, ग्रुप हाउसिंग-01, सुशान्त गोल्फ सिटी, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ में प्रस्तावित समूह आवासीय भवन के मानचित्र का अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से निरीक्षण / परीक्षण किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

भवन की संरचना:-

01-प्रश्नगत प्रस्तावित भवन का कुल प्लाट एरिया 86808.98 वर्ग मीटर है ।
02-प्रश्नगत भवन परिसर में कुल 16 टावर प्रस्तावित है जिनका विवरण निम्नलिखित है—
टावर-ए-1 से ए-05 प्रत्येक टावर का अलग-अलग-

• भूतल/स्टिल्ट का कबर्ड एरिया –	915.57 वर्ग मीटर ।
• प्रथम तल का कबर्ड एरिया—	838.04 वर्ग मीटर ।
• द्वितीय तल से 11वें तल का टिपिकल कबर्ड एरिया-	867.96 वर्ग मीटर ।
• 12वें तल से 14वें तल का टिपिकल कबर्ड एरिया-	853.97 वर्ग मीटर ।
टावर-बी-01 से बी-03 तक प्रत्येक टावर का अलग-अलग-	000.57 44 4104 1
• भूतल/स्टिल्ट का कबर्ड एरिया –	668.61 वर्ग मीटर ।
• प्रथम तल का कबर्ड एरिया—	590.75 वर्ग मीटर ।
• द्वितीय तल से 14वें तल का टिपिकल कबर्ड एरिया –	633.90 वर्ग मीटर ।
टावर-सी0-01 से सी0-03 तक प्रत्येक टावर का अलग-अलग-	555.55 4 1 1164 1
• भूतल/स्टिल्ट का कबर्ड एरिया –	1166.03 वर्ग मीटर ।
• प्रथम तल का कबर्ड एरिया—	1129.15 वर्ग मीटर ।
• द्वितीय तल से 14वें तल का टिपिकल कबर्ड एरिया –	1141.74 वर्ग मीटर ।
टावर-डी-01 व डी0-02 प्रत्येक टावर का अलग-अलग-	
• भूतल/स्टिल्ट का कबर्ड एरिया –	664.91 वर्ग मीटर ।
• प्रथम तल से 14वें तल का टिपिकल कबर्ड एरिया -	699.37 वर्ग मीटर ।
टावर-ई0-01 व ई0-03 प्रत्येक टावर का अलग-अलग-	
• भूतल/स्टिल्ट का कबर्ड एरिया-	749.25 वर्ग मीटर ।
• प्रथम तल से 14वें तल का टिपिकल कबर्ड एरिया –	916.55 वर्ग मीटर ।
टावर-ई0-02	
• भूतल/स्टिल्ट का कबर्ड एरिया-	601.80 वर्ग मीटर ।
• प्रथम तल से 14वें तल का टिपिकल कबर्ड एरिया –	933.14 वर्ग मीटर ।
कम्यूनिटी सेंटर—	
• भूतल का कबर्ड एरिया –	1709.86 वर्ग मीटर ।
• प्रथम तल का कबर्ड एरिया—	1436.00 वर्ग मीटर ।
• द्वितीय तल का कबर्ड एरिया—	1110.00 वर्ग मीटर ।
03- प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के बेसमेंट का कुल कबर्ड एरिया 75074.30	वर्ग मीटर मानचित्र में प्रदर्शित
है।	
14- प्रश्नगत प्रस्तावित टावरों की अधिकतम् ऊँचाई 44.90 मीटर मानचित्र	में प्रदर्शित है ।



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

Date: 08-07-2019

Valid Upto: 07-07-2027

1ST FLOOR, YMCA BUILDING, 13 RANA PRATAP MARG, LUCKNOW

No Objection Certificate for Height Clearance (Review)

- 1. This NOC is issued by Airports Authority of India (AAI) in pursuance of responsibility conferred by and as per the provisions of Govt. of India (Ministry of Civil Aviation) order GSR751 (E) dated 30th Sep. 2015 for Safe and Regular Aircraft Operations.
- 2. This office has no objection to the construction of the proposed structure as per the following details:

NOC ID:	LUCK/NORTH/B/080817/237320	
Applicant Name*	Sudhir Kumar Agarwal	
Site Address*	GH-1, POCKET-6, SECTOR-C, SUSHANT GOLF CITY, LUCKNOW, MUZAFFAR NAGAR GUSVAL, Lucknow, Uttar Pradesh	
Site Coordinates*	81 0 24.38-26 46 58.28, 81 0 26.44-26 46 51.52, 81 0 28.53-26 46 45.04, 81 0 34.13-26 46 51.94, 81 00 18.76-26 46 51.29	
Site Elevation in mtrs AMSL as submitted by Applicant*	118.12 M	
Permissible Top Elevation in mtrs Above Mean Sea Level(AMSL)	167.64 M (Restricted)	

- *As provided by applicant
- 3. This NOC is subject to the terms and conditions as given below:
- a. Permissible Top elevation has been issued on the basis of Site coordinates and Site Elevation submitted by Applicant. AAI neither owns the responsibility nor authenticates the correctness of the site coordinates & site elevation provided by the applicant. If at any stage it is established that the actual data is different, this NOC will stand null and void and action will be taken as per law. The office in-charge of the concerned aerodrome may initiate action under the Aircraft (Demolition of Obstruction caused by Buildings and Trees etc.) Rules, 1994"
- b. The Site coordinates as provided by the applicant in the NOC application has been plotted on the street view map and satellite map as shown in ANNEXURE. Applicant/Owner to ensure that the plotted coordinates corresponds to his/her site. In case of any discrepancy, Designated Officer shall be requested for cancellation of the NOC.
- c. Airport operator or his designated representative may visit the site (with prior coordination with applicant or owner) to ensure that NOC terms & conditions are complied with.
- d. The Structure height (including any superstructure) shall be calculated by subtracting the Site elevation in AMSL from the Permissible Top Elevation in AMSL i.e. Maximum Structure Height = Permissible Top Elevation minus (-) Site Elevation.
- e. The issue of the 'NOC' is further subject to the provisions of Section 9-A of the Indian Aircraft Act, 1934 and any notifications issued there under from time to time including the Aircraft (Demolition of Obstruction caused by Buildings and Trees etc.) Rules,1994.

क्षेत्रीय मुख्यालय उत्तरी क्षेत्र, परिचालन कार्यालय परिसर रंगपुरी, नई दिल्ली - 110037 दूरभाष संख्या - 91-11-25653566 Regional headquarter Northern Region, Operational Offices Complex Rangpuri, New Pelhi-11-037 Tel: 91-11-25653566 "हिंदी पत्रों का स्वागत है |"

के के ए कबीर / K. K. A. KABIR तहाप्रबंधक (बाबु बातायात प्रबन्धन-उत्तरती क्षेत्र)/General Manager (ATM), NR भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरम/Airports Authority of India

प्रवालन कार्यालय/Operational Offices रंगपुरी, गुरुआन चेंद्र, नई दिल्बी-37/Rangpuri, Gurugram Road, New Delhi-37 APIL - LUCKNOW Serial No. 288 CQ Date 12 Jul 19



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

- f. No radio/TV Antenna, lighting arresters, staircase, Mumtee, Overhead water tank and attachments of fixtures of any kind shall project above the Permissible Top Elevation of 167.64 M (Restricted) (AMSL), as indicated in para 2.
- g. Use of oil, electric or any other fuel which does not create smoke hazard for flight operations is obligatory, within 8 KM of the Aerodrome Reference Point.
- h. The certificate is valid for a period of 8 years from the date of its issue. One time revalidation without assessment may be allowed, provided construction work has commenced, subject to the condition that such request shall be made within the validity period of the NOC and the delay is due to circumstances which are beyond the control of the developer.
- i. No light or a combination of lights which by reason of its intensity, configuration or colour may cause confusion with the aeronautical ground lights of the Airport shall be installed at the site at any time, during or after the construction of the building. No activity shall be allowed which may affect the safe operations of flights
- j. The applicant will not complain/claim compensation against aircraft noise, vibrations, damages etc. caused by aircraft operations at or in the vicinity of the airport.
- k. Day markings & night lighting with secondary power supply shall be provided as per the guidelines specified in chapter 6 and appendix 6 of Civil Aviation Requirement Series B Part I Section 4, available on DGCA India website: www.dgca.nic.in
- 1. The applicant is responsible to obtain all other statutory clearances from the concerned authorities including the approval of building plans. This NOC for height clearances is to ensure the safe and regular aircraft operations and shall not be used as document for any other purpose/claim whatsoever, including ownership of land etc.
- m. This NOCID has been assessed w.r.t Lucknow Airport(s). NOC has been issued w.r.t. the AAI aerodromes and other licensed civil aerodromes as listed in Schedule-IV(Part-1), Schedule-IV(Part-2;RCS Airports Only) and Schedule-VII of GSR751(E).
- n. Applicant needs to seek separate NOC from Defence, if the site lies within the jurisdiction of Defence Aerodromes as listed in Schedule-V of GSR751(E). As per Rule 13 of GSR751(E), applicants also need to seek NOC from the concerned State Govt. for sites which lies in the jurisdiction of unlicensed aerodromes as listed in Schedule-IV (Part-2:other than RCS airports) of GSR751(E).
- o. In case of any discrepancy/interpretation of NOC letter, English version shall be valid.
- p. In case of any dispute w.r.t site elevation and/or AGL height, top elevation in AMSL shall prevail.

o. This NOC supersedes any previously issued NOC.

Chairman NOC Committee

Region Name: NORTH

Address: General Manager Airports Authority of

India, Regional Headquarter, Northern Region, Operational Offices, Gurgaon

Road, New Delhi-110037

Email ID: noc_nr@aai.aero

Contact No: 011-25653551


के के ए कबीर / K. K. A. KABIR
महाप्रबंधक (बाबु बाताबात प्रबन्धन-उत्तरी क्षेत्र)/General Manager (ATM), NR
भारतीय विधानगत्तन प्राधिकरण/Airports Authority of India
प्रचालन कार्यालय/Operational Offices
रंगपुरी, गुरुगान चेह, नई बिल्की-37/Rangpuri, Gurugram Road, New Delhi-37

	Name / Designation / Sign with Date
Prepared By:	M Navcentain AGM (A7M)
Verified By :	गुलशन समुम में एररीएन

Distance From Nearest Airport And Bearing

Airport Name	Distance (Meters) from Nearest ARP	Bearing (Degree) from Nearest ARP
Lucknow	12275.61	79.29
NOCID	LUCK/NORTH/B/080817/237320	


Street View



July 8, 2019



Satellite View



Copy to (i) THE A.P.D. AAI, LUCKNOW AIRPORT LUCKNOW (U.P)

(ii) GUARD FILE.